



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने व चोरी की मो0सा0 बरामद होने के आरोपी सुमित को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 02 वर्ष का कारावास व 2,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त सुमित पुत्र मंगतराम निवासी ग्राम कम्मो माजरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा वर्ष-2018 में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की घटना कारित की गयी थी, जिससे चोरी की मो0सा0 बरामद हुई थी। इस सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0- 1347/2018 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) व मु0अ0सं0 1351/2018 धारा 414 भादवि पंजीकृत हुआ था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज पंचम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सुमित को दोषी पाते हुए धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) में 02 वर्ष के कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 414 भादवि में 02 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर दहेज हत्या के आरोपियों मुजम्मिल, तौफिक व 01 महिला प्रत्येक को हुई 10 वर्ष के कारावास व 30,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त मुजम्मिल पुत्र तौफिक, तौफिक पुत्र मकसूद व 01 महिला निवासीगण ग्राम निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2016 में दहेज हत्या की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0- 306/16 धारा 304बी भादवि व धारा 304 दहेज अधिनियम पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 23.02.2024 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त मुजम्मिल, तौफिक व एक महिला को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है। बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 23.02.2024

ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 23/24 धारा 365 भादवि से संबंधित गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 23/24 धारा 365 भादवि से संबंधित गुमशुदा / अपहृत को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया है ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थानाध्यक्ष सुश्री साक्षी सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3- का0 917 दयाशंकर थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 23.02.2024

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम सिंगौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-संजय पुत्र जगनपाल निवासी ग्राम सिंगौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-पीआरडी सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 23.02.2024

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-नरेश कुमार पुत्र हरपाल सिंह निवासी ग्राम सिंगौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-संजय पुत्र जगनपाल निवासी ग्राम सिंगौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-पीआरडी सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 23.02.2024

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 24/24 धारा 323/307/506/504 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 1 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.02.2024 को थाना बालैनी पर वादी श्री दीपक पुत्र श्री पदम सिंह टॉल प्लाजा मैनेजर बालैनी ने सूचना दी कि गाडी नं0 UP-15EA-9859 व DL-3CBU-1792 के सवार नाम पता अज्ञात द्वारा टॉल कर्मचारीगण के साथ गाली-गलौच करते मारपीट की गयी व टॉल कर्मियों पर जान से मारने की नीयत से तमंचा तान दिया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस



सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 24/24 धारा 323/307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी द्वारा थाने के मु0अ0सं0 24/24 धारा 323/307/504/506 भादवि में वांछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 1 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अनुज पुत्र मनोज निवासी ग्राम पबला थाना इन्चौली जनपद मेरठ ।
- 2-आर्यन पुत्र कुलदीप निवासी ग्राम सियाल थाना भावनपुर जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
- 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 351 पवन कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 440 राशिद खान थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-का0 884 सर्जन सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।